03.02.2021	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, चौमू जिला जयपुर को जरिये नोटिस क्रमांक आर.टी.आई./20/1532 दिनांक 15.10.2020 द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जावे तथा अपील का बिन्दुवार उत्तर दिनांक 19.11.2020 से पूर्व भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रार्थी द्वारा अपील में अंकित किया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, चौमू के समक्ष दिनांक 18.08.2020 को सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी, परन्तु प्रार्थना पत्र के संदर्भ में वांछितानुसार दिनांक 28.09.2020 तक न तो कोई सूचना प्राप्त हो पाई है और ना ही कोई प्रत्युतर प्राप्त हुआ है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश की गई। प्रथम अपील इस न्यायालय में दिनांक 15.10.2020 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कराया जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चौमू को नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा उनके पत्रांक लो.सू./आर.ए.3/2020/2331 दिनांक 23.10.2020

अपील सं० : 16/2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
03.02.2021	के द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक लो.सू./2020/2824 दिनांक 11.09.2020 द्वारा सूचना उपलब्ध करा दी गई है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया। (डॉ. अशोक कुमार) प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अति. कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर